पंचायत स्तर पर बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता हेतु प्रश्नोत्तरी माड्यूल

द्वारा – **रोजा संस्थान,** बलरामपुर, उ0प्र0

– सहयोग –

महिला एवं बाल विकास विभाग

बलरामपुर, उ0प्र0

बाल विवाह पर पंचायत स्तर पर सवाल–जवाब

1. बाल विवाह से क्या तात्पर्य है ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत् बाल विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें किसी एक तरफ से विवाह करने वाला व्यक्ति बच्चा है ।

2. बाल विवाह अधिनियम में बच्चा किसे कहा गया है ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में केवल विवाह की कानूनी आयु तय की गई है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे के आयु वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है ।

3. बच्चा किसे कहते हैं ?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता –1989 में कहा गया है कि ष्बच्चे का अर्थ हर उस मनुष्य से है जिसने अब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, जब तक की बाल्यावस्था की आयु सीमा निर्धारण हेतु कोई नया कानून लागू न हो । यद्यपि भारतीय बहुमत अधिनियम के अन्तर्गत बहुमत द्वारा निर्णय कर बाल्यावस्था की आयु 18 वर्ष तय की गई है। अतः 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। बच्चों की आयु आधारित परिभाषा की पुष्टि किशोर न्याय (देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत की गई है जिसमें कहा गया है कि किशोर या बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है।

4. बाल विवाह के क्या कारण है ?

शिक्षा एवं जागरूकता की कमी का परिणाम बाल विवाह है। समाज में बाल विवाह आयोजन की पुरानी पारम्परिक प्रक्रिया, कानून का खराब क्रियान्वयन तथा प्रशासन के ओर से इच्छाशक्ति तथा कार्यो की कमी के साथ–साथ पूरे देश में बाल विवाह की निरन्तरता का मुख्य कारण है । कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखत है :–

- लड़कियों को पराया धन समझना, तथा माता–पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा तथा विकास के प्रति उदासिनता का रवैया अपनाकर उसका विवाह जल्दी कर देना ।
- सामान्यतः लड़कियों को परिवार में बोझ समझा जाता है तथा परम्परागत तौर पर समुदाय का यह रवैया होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करा दी जाए।
- लड़कियों के प्रति यौन हिंसा की आशंका से बचाव तथा माता – पिता एवं समाज द्वारा

लड़कियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ होना भी बाल विवाह के लिए कारण बताया जाता है । समुदाय में ऐसा विश्वास है कि जल्दी विवाह करने से लड़कियों की शु)ता तथा इज्जत सुरक्षित रहती है ।

- माता–पिता द्वारा यह पक्ष रखा जाता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से दहेज कम देना पड़ेगा ।
- कम आयु की दूल्हन की मांग भी परिवारों को लड़कियों के कम उम्र में विवाह हेतु प्रेरित करती है ताकि अधिक उम्र होने पर अधिक दहेज देने से बचा जा सके ।
- माता–पिता यह समझते हैं कि लड़कियों का विवाह जल्दी करने से उसका भविष्य सुरक्षित रहता है ।
- अन्य सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे, सगे–संबंधियों के बीच विवाह, शुभ या विशेष प्रयोजनों में विवाह भी बाल विवाह को राज्य में बढ़ावा देती है।

5. बाल विवाह पर विशेष रूप से तैयार किये गये प्रमुख कानून क्या है ?

दिनांक 01 नवम्बर 2007 को लागू किया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 देश में बाल विवाह से संबंधित मामलों के लिए तैयार किया गया प्रमुख कानून है ।

6. बाल विवाह रोकथाम में पंचायत क्या कर सकती है ?

बाल विवाह रोकथाम मे पंचायत की महत्वपूर्ण योगदान है। पंचायत अपने स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम, वार्ड बैठक, ग्राम सभा आयोजित कर बाल विवाह से हाने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी दे सकती है। पंचायत सुनिश्चित करे की सभी बच्चें स्कूल मे अध्यनरत हो और नियमित हो । अगर कोई बच्चा अनियमित होता है तो पंचायत उसको ट्रैक कर पता करे कि कही उसका बाल विवाह तो नही हो रहा है द्य समय–समय पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम से वंचित परिवारों को जोड़ कर बाल विवाह रोक सकती है।

7. पंचायत या वार्ड सदस्य बाल विवाह की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते है ?

पंचायत व वार्ड सदस्य निम्न तरीकों से बाल विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते है –

- अगर कोई बच्चा स्कूल से अनियमित होता है
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित परिवारों की जानकारी
- अबूझ सावों या अक्षय तृतीया के दिनों मे परिवार का पलायन
- मृत्युभोज पर बड़े कार्यक्रम का आयोजित होना
- बाल समूह या बाल संरक्षण समिति के माध्यम से

- जबरदस्ती जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाने मे
- पुलिस या अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर ।

8. बाल विवाह आयोजन रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

- बाल विवाह निषेध पदाधिकरी या किसी व्यक्ति ६ गैर सरकारी संस्था के पास बाल विवाह आयोजन की जानकारी उपलब्ध हो तो वह उस सूचना के आधार पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है । विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकता है ।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 के तहत् न्यायालय बाल विवाह उस बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति के विरू) आदेश निर्गत होने के बाद भी वह बाल विवाह का आयोजन करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रूपये आर्थिक दण्ड या दोनों दिया जा सकता है। यहाँ यह सूचित करना आवश्यक है कि इस मामले में किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। आदेश की अवहेलना कर किया गया बाल विवाह अमान्य होगी ।
- बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है ।
- बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

9. क्या केवल स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का बाल विवाह होता है ?

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है । परिवार की ऐसी सोच हो जाती है कि वह लड़कियों को बोझ मानने लगते है और उनको डर लगने लगता है कि लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए वह स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का बाल विवाह कर देते है । बाल विवाह होने के और भी बहुत से कारण हो सकते है जिसमे स्कूल न जाना भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

10. बाल विवाह की सूचना मिलने पर पंचायत क्या कर सकती है ?

बाल विवाह की सूचना मिलने पर पंचायत पुलिस को सूचित कर सकती है और बाल विवाह रोकने में मदद कर सकती है ।

11. अगर बाल विवाह हो गया तो उसे प्रतिसि) कैसे किया जा सकता है ?

अगर बाल विवाह हो गया है तो उसको प्रतिसि) नहीं किया जा सकता। ऐसे बाल विवाह को कोर्ट में अर्जी देकर शुन्यकरणीय किया जा सकता है।

12. यदि कोई व्यस्क व्यक्ति किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो क्या होगा ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षो तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है ।

13. क्या बाल विवाह गरीब परीवार वाले ही करते है ?

केवल गरीब परिवार ही बाल विवाह नही करते है बल्कि बहुत से समुदाय बाल विवाह अनुष्ठान कराते है। गरीबी, बाल विवाह का प्रमुख कारण नही है, अन्य सामाजिक कुरुतियां लड़कियों के प्रति असवेंदनशिलता, लड़कियों को कम महत्व देना, अशिक्षा इत्यादी कारण है ।

14. अगर कोई परीवार विवशता या मजबूरी में बाल विवाह करता है तो पंचायत उसकी मदद कैसे कर सकती है ?

अगर पंचायत को सूचना मिलती है कि कोई परिवार विवशता मे बाल विवाह कर रहा है तो पंचायत उस परिवार से सम्पर्क कर उसको बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे मे बता सकती है अगर पंचायत को प्रतित होता है कि परिवार को आर्थिक मदद की जरुरत है तो पंचायत उस परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे मनरेगा, स्वंय सहायता समूह ६ स्वरोजगार इत्यादी से जोड़ने में मदद कर सकती है ।

15. क्या लड़के वालों की तरफ से बाल विवाह शुन्यकरणीय करवाया जा सकताहै ?

हाँ, लड़के वालों की तरफ से भी बाल विवाह शुन्यकरणीय किया जा सकता है ।

16. क्या बाल विवाह करने पर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत भी सजा दी जा सकती है ?

हाँ, अगर कथित परिस्थिति मे बालक का विक्रय और उपापत्र किया जाता है और किसी रुप मे उसका विवाह कराया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 अन्तर्गत उसकों पांच वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

17. बाल विवाह करने से नुकसान क्या है ?

बाल विवाह कर देने के पश्चातः बच्चों को अपने जीवन में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है–

- बाल विवाह से अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है ।
- बाल विवाहित बच्चों की शिक्षा छुट जाती है ।
- बाल विवाहित बच्चों को उम्र व क्षमता से पहले अनेक जिम्मेदारीयाँ मिल जाती है जिनको निभाने के दौरान बच्चें मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते है या आत्महत्या

कर लेते है ।

- बच्चों के खेलने, घुमने, कपड़े पहनने इत्यादी पर अनेक पाबन्दियाँ लग जाती है।
- जिम्मेदारीयों को निभाने के लिए बाल श्रम करना पड़ता है।
- लड़कियाँ बाल विवाह के कारण जल्द ही ससुराल जाने लग जाती है जहाँ उनके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये जाते है, जिसके लिए वो तैयार नहीं होती है और समझ नहीं पाती की उनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत और वो मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। जिसके कारण जीवन पर्यन्त निर्णय लेने व परिवार के संचालन का नेतृत्व नहीं कर पाती है।
- बाल विवाह का मतलब होता है जल्दी माँ बनना । इसके कारण कम उम्र की माँ व उसके बच्चें दोनो की सेहत खतरे मे पड़ जाती है ।
- बाल विवाह का एक नतीजा यह भी होता है कि लड़कियों को बार-बार गर्भधारण और गर्भपात करवाना पड़ता है इससे न केवल नवजात शिशुओं का वजन कम रह जाता है बल्कि उनके सामने कुपोषण व खून की कमी की भी ज्यादा आंशका रहती है ऐसे प्रसवों में शिशु मृत्यु दर व प्रसूता मृत्यु दर ज्यादा पायी गई है इतना ही नहीं कम उम्र मे यौन गतिविधियों से प्रजनन नली मे संक्रमण और एचआईवी ध एड्स सहित यौन संक्रामक बीमारीयों की चपेट मे आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है ।
- जच्चा व बच्चा दोनों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है ।
- बाल विवाह के पश्चात परिवार मे आपसी अनबन या लड़के-लड़की के विचार नहीं मिलने से पारिवारिक तनाव का माहौल बना रहता है व सम्बन्ध विच्छेद हो जाते है या गृह क्लेश बना रहता है।
- परिवार को चलाने की मजबूरी मे लड़का अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाता है जो भी रोजगार मिलता है करना पड़ता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है और छोटी-छोटी जरुरतों के लिए कर्जा लेना पड़ता है और ब्याज व कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता व अच्छा जीवन नहीं जी पाता है।
- बाल विवाह मे बच्चों की स्वीकृति या आपसी तालमेल बिठाये बगैर घरवाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के चक्कर मे बेमेल जोड़े बना देते है जो जीवन - पर्यन्त दुःख व आपसी विवाद एंव घरेलु हिसा का कारण बनते है ।
- कई माँ - बाप मानते है कि अगर लड़कियों का विवाह जल्द कर दिया जाये तो उन्हें हिंसा से बचाया जा सकता है। ऐसे माँ-बाप यह नहीं समझते कि बाल विवाह तो वास्तव में

घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के लंबे सिलसिले का दरवाजा खोल देता है कई बार तो बाल विवाह ही लड़कियों के व्यवसायिक यौन शोषण, बाल श्रम या खरीद-फरोख्त का कारण बनते है ।

18. क्या लड़के बाल विवाह रोकथाम में सहयोग कर सकते है ?

लड़के भी बाल विवाह रोकने मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है । बाल विवाह में लड़कों को भी काफी नुकसान होता है जैसे स्कूल छोड़ना, बाल मजदूरी करना, कम उम्र मे पिता बनना और पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ उठाना, मानसिक उत्पीड़न इत्यादी शामिल है। अगर लड़के बाल विवाह करने से मना कर दे तो बाल विवाह मे बहुत कमी आ सकती है।

19. संज्ञये अपराध का क्या मतलब होता है ?

आम तौर पर संज्ञये अपराध का मतलब है कि पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के गिरप्तार कर सकती है और जांच शुरु कर सकती है इसके लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। ऐसे संज्ञय अपराध में पुलिस अपने स्तर पर एफ. आई.आर. दर्ज कर सकती है। आमतौर पर तीन वर्ष या उससे ज्यादा की सजा को गंभीर अपराध माना जाता है और वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे आता है ।

20. यदि कोई व्यक्ति, विवाह करने वाला बच्चा सहित, बाल विवाह रोकना चाहता है तो उसे किससे सम्पर्क करना चाहिये ?

कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना विवाह के आयोजन के पहले या उसके बाद दे सकता है। इस सूचना के आधार पर त्वरित सूचना निम्नलिखित स्थानों पर दिया जाना चाहियेः

1. पुलिस डायल करें 100
2. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अथवा इस संबंध में सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. किशोर न्याय द्धबच्चों की देखभाल एवं संरक्षणऋ अधिनियम, 2000 के तहत् सभी जिलों में गठित बाल कल्याण समिति के कोई भी सदस्य
5. चाइल्डलाईन – डायल करें 1098
6. जिला मजिस्ट्रेट

21. बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारी कौन है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारीः

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी

2. जिला मजिस्ट्रेट

3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 4. पुलिस

4. पुलिस

5. परिवार न्यायालय

6. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी जैसेः समाज सेवा में कार्यरत समुदाय का कोई प्रतिष्ठित सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निगम का पदाधिकारी, सरकारी अथवा लोक उपक्रम का कोई पदाधिकारी, किसी गैर सरकारी संस्था का अध्यक्ष ।

22. कानून के अन्तर्गत बालिकाओं की देखभाल के लिए क्या प्रावधान है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 3 तहत् आदेश (अमान्य घोषित करने हेतु) निर्गत कर जिला न्यायालय वर पक्ष को विवाह अमान्य घोषित करने के संबंध में अन्तरिम अथवा अंतिम आदेश निर्गत कर सकती है। यदि किसी विवाह में वर पक्ष अव्यस्क है तो उस स्थिति में वर के माता-पिता अथवा अभिभावक को लड़की की देखभाल हेतु उसके पूनर्विवाह तक रकम का भुगतान करना पड़ता है । रकम का निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा लड़की की जरूरतों, रहन-सहन तथा वर पक्ष की आय के आधार पर किया जाता है । देखभाल की रकम प्रत्येक माह या एकमुश्त भी अदा की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यदि वधू पक्ष की ओर से याचिका दायर की जाती है तो उस अवस्था में जिला न्यायालय लड़की के पुनर्विवाह होने तक उसके निवास स्थान हेतु उपयुक्त आदेश निर्गत कर सकती है ।

23. बाल विवाह से संबंधित मिथक क्या है ?

बाल विवाह से संबंधित कुछ लोकप्रिय विश्वास हैं जिन्हें पूर्ण शोध तथा जाँच के बाद मिथ्य साबित किया गया है। कुछ प्रमुख मिथ्य निम्नलिखित हैं ।

- बाल विवाह का प्रमुख कारण गरीबी है रू ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बाल विवाह दोनों प्रकार के परिवारों द्धगरीब तथा अमीर ऋ में होता है। पंजाब देश का सबसे धनी राज्य है परन्तु 18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों के अववाह का अनुपात पिछले 7 वर्षो में नाटकीय रूप वर्ष 1998-99 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 19 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह पंजाब में गिरते लिंग अनुपात का मुख्य कारण हो सकता है। सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि अमीर परिवारों में कम आयु में विवाह होते हैं ।

- कम आयु में विवाह करने से लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएँगी असल में यह विपरित कार्य करता है। कम उम्र में विवाहित लड़कियाँ शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण की शिकार अधिक होती हैं। इससे समय से पूर्व गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है जो बाद में अन्य बिमारियों का कारण बनता है ।
- यदि लड़कों की शादी जल्दी नहीं हुई तो भविष्य में दूल्हन ढुंढने में कठिनाई होगी रू यदि बाल विवाह पर पूर्ण पाबंदी होगी तथा सभी समुदाय इसे सख्ती से लागू करेंगे तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए कौन कदम बढ़ायेगा । लोगों को यह समझना चाहिये की न्यूनतम लिंग अनुपात का कारण कन्या भ्रूण हत्या है। यदि कोई व्यक्ति लिंग जाँच कराने या लड़की को गर्भ में ही मारने जा रहा है तो उसे यह समझना चाहिये कि उसे आगे चलकर अपने बेटे के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी ।

24. बाल विवाह की घटना के लिए शिकायत कौन दर्ज करा सकता है तथा शिकायत कहाँ दर्ज करायी जा सकती है ?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है जिनमें रू–

- ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाल विवाह आयोजन के बारे में विश्वास करने का समुचित कारण हो –
- ऐसा व्यक्ति जिसे बाल विवाह के आयोजन की जानकारी हो ।
- शिक्षक, चिकित्सक, ए. एन. एम., आँगनवाड़ी सेविका, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता स्वयं सहायता समुह के सदस्य, गाँव के बड़े–बुजूर्ग, पड़ोसी इत्यादि ।
- बच्चे के माता–पिता या अभिभावकय ।
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी या उन्हें सहयोग करने हेतु नियुक्त व्यक्तिय ।
- विश्वस्त सूत्रों के आधार पर गैर सरकारी संस्था द्वारा ।

चूँकि बाल विवाह का आयोजन एक संज्ञेय अपराध है अतः इस संबंध में नजदीक के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस द्वारा शिकायत को दैनिक डायरी पंजी में अंकित कर उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज किया जाता है । मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत मौखिक अथवा लिखित रूप में फोन, पत्र, टेलीग्राम, ई–मेल, फैक्स या साधरण हाथ से लिखकर भी दिया जा सकता है ।

25. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसे दण्डित किया जा सकता है ?

- बाल विवाह का आयोजन करने वाला, प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है (धारा 10)
- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी बच्ची से विवाह करता हो (धारा 9)
- बच्चे की देख–रेख करने वाला व्यक्तिः– माता–पिता या अभिभावक
- कोई अन्य व्यक्ति (कानूनी या गैरकानूनी)
- संस्था का कोई सदस्य या लोगों का समुह जो बाल विवाह को बढ़ावा देता हो, या उसकी स्वीकृति देता हो या उसमें भाग लेता हो (धारा 11)
- दोनों पक्षों के माता–पिता या अभिभावक
- पुजारी
- दोनों पक्षों के रिश्तेदार / मित्र
- दोनों पक्षों के पड़ोसी जिन्होने बाल विवाह में भाग लिया हो या योगदान दिया हो ।
- वैसे जनप्रतिनिधि जो इस प्रकार के विवाह को संरक्षण देते हैं ।
- विवाह तय करने वाले व्यक्ति या मैरेज ब्यूरो ।
- तस्कर
- खाना बनाने वाले या अन्य सेवा प्रदान करने वाले

27. क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय तथा गैर–जमानती अपराध है ?

हाँ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार इस अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय तथा गैर जमानती अपराध है ।

28. बाल विवाह से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों में दण्ड का क्या प्रावधान है ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षो तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है। वैसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह में लिप्त होते हैं उन्हें 2 वर्षो के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। बच्चे का बाल विवाह होने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता – पिता/ अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति, किसी संस्था का सदस्य या समुह जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो या उसके आयोजन की अनुमति देता हो उसे भी 2 वर्षो के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है ।

चलो अब
शुरुआत करे
बाल विवाह
का नाश करे

CHILD LINE
1098
NIGHT & DAY

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं